

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2496
उत्तर देने की तारीख 15.12.2025

युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्थिति

2496. श्री तनुज पुनिया :
डॉ. अमर सिंह :
श्री बलवंत बसवंत वानखडे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2021 से 30 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत और वितरित छात्रवृत्तियों की संख्या का वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति एवं वितरण में लगने वाला औसत एवं अधिकतम समय वर्ष-वार कितना है;
- (ग) क्या छात्रवृत्ति निधि की प्रोसेसिंग अथवा वितरण में देरी के संबंध में कोई समीक्षा या संपरीक्षा की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): प्राप्त आवेदनों, संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या और विवरण **अनुलग्नक-क** पर संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (30.10.2025 तक) की अवधि के लिए विद्वानों की संख्या और संवितरित राशि **अनुलग्नक-ख** पर संलग्न है।

(ख) से (घ): विद्वानों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात, उनका मूल्यांकन/जांच की जाती है और तत्पश्चात संवाद/साक्षात्कार भी किए जाते हैं। तत्पश्चात पात्र आवेदनों पर आगे विचार और अनुमोदन के लिए उन्हें विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है और पात्र अभ्यर्थियों को 04 छमाही किस्तों में छात्रवृत्ति की धनराशि जारी की जाती है। तथापि, पहली किस्त के बाद राशि जारी करना, विद्वानों से समय पर छमाही रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

'युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्थिति' के संबंध में दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2496 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैच वर्ष 2019-20*		बैच वर्ष 2020-21		बैच वर्ष 2021-22		बैच वर्ष 2022-23	
		प्राप्त आवेदन	अनुमोदित विद्वान	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित विद्वान	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित विद्वान	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित विद्वान
1.	अंडमान एवं निकोबार	1	00	1	01	1	00	1	01
2.	आंध्र प्रदेश	45	03	18	02	16	03	50	04
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	01	01	00	4	02	4	01
4.	असम	148	27	110	15	124	19	198	20
5.	बिहार	145	15	83	22	144	12	162	12
6.	छत्तीसगढ़	145	11	70	23	127	10	196	11
7.	चंडीगढ़	15	03	28	06	6	00	14	04
8.	दिल्ली	225	23	78	12	181	21	289	29
9.	गोवा	6	02	8	02	8	00	5	01
10.	गुजरात	53	07	19	08	41	06	55	03
11.	हरियाणा	74	05	25	12	35	02	77	08
12.	हिमाचल प्रदेश	29	00	8	02	23	02	31	01
13.	जम्मू और कश्मीर	10	01	9	06	13	01	12	05
14.	झारखंड	23	08	17	04	34	08	24	05
15.	कर्नाटक	145	28	37	18	87	26	155	19

16.	केरल	152	20	48	15	99	17	163	27
17.	लद्दाख	00	00	00	00	00	00	1	01
18.	मध्य प्रदेश	253	26	194	46	315	39	351	22
19.	महाराष्ट्र	252	41	99	28	174	28	269	50
20.	मणिपुर	73	08	19	07	62	17	75	10
21.	मेघालय	00	00	00	00	00	00	00	00
22.	मिजोरम	00	00	00	00	00	00	00	00
23.	नागालैंड	00	00	00	00	00	00	00	00
24.	ओडिशा	235	25	119	26	319	36	353	39
25.	पुद्दुचेरी	2	00	00	00	3	00	3	00
26.	पंजाब	24	04	5	02	12	01	29	01
27.	राजस्थान	65	10	28	09	62	08	69	07
28.	सिक्किम	3	01	1	01	1	00	4	02
29.	तमिलनाडु	65	18	13	10	31	09	68	08
30.	तेलंगाना	79	04	11	02	15	03	76	05
31.	त्रिपुरा	25	02	8	01	20	04	29	01
32.	उत्तर प्रदेश	245	36	107	33	252	42	280	32
33.	उत्तराखंड	33	04	13	04	34	05	38	01
34.	पश्चिम बंगाल	509	67	264	83	539	79	804	70
	कुल	3083	400	1441	400	2782	400	3885	400

* बैच वर्ष 2019-20 के लिए, आवेदन, वर्ष 2021 के दौरान आमंत्रित और प्राप्त किए गए।

बैच वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

'युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्थिति' के संबंध में दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2496 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (एसवाईए)' स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2021 से 30 अक्टूबर, 2025 तक संवितरित की गई राशि

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (30.10.2025 तक)	
		विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि
1.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	-	03	0.90	-	-	01	0.30
2.	आंध्र प्रदेश	20	6.00	03	0.90	09	2.70	06	1.80	07	2.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	08	2.40	01	0.30	05	1.50	03	0.90	03	0.90
4.	असम	56	16.80	28	8.40	89	26.70	58	17.40	49	14.70
5.	बिहार	43	12.90	16	4.80	63	18.90	43	12.90	39	11.70
6.	चंडीगढ़	03	0.90	03	0.90	09	2.70	07	2.10	07	2.10
7.	छत्तीसगढ़	35	10.50	10	3.00	50	15.00	38	11.70	35	10.50
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	72	24.00	21	6.30	73	21.90	53	16.20	59	18.00
9.	गोवा	04	1.20	02	0.60	06	1.80	04	1.20	1	0.30
10.	गुजरात	26	7.80	05	1.50	23	6.90	19	5.70	16	4.80
11.	हरियाणा	22	6.60	05	1.50	25	7.50	18	5.40	20	6.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (30.10.2025 तक)	
		विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि
12.	हिमाचल प्रदेश	04	1.20	-	-	04	1.20	03	0.90	04	1.20
13.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	16	4.80	01	0.30	09	2.70	08	2.40	12	3.60
14.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	झारखंड	17	5.10	08	2.40	24	7.20	17	5.10	15	4.50
16.	कर्नाटक	80	24.00	30	9.00	97	29.10	63	18.90	56	17.10
17.	केरल	74	22.20	20	6.00	71	21.30	48	14.40	54	16.50
18.	मध्य प्रदेश	128	38.40	27	8.10	131	39.30	104	31.80	100	30.30
19.	महाराष्ट्र	132	39.60	40	12.00	127	38.10	81	24.30	94	28.80
20.	मणिपुर	30	9.00	08	2.40	39	11.70	29	8.70	32	9.60
21.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	मिजोरम	01	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ओडिशा	75	22.50	25	7.50	97	29.10	71	21.60	91	27.90
25.	पुद्दुचेरी	02	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	पंजाब	14	4.20	04	1.20	11	3.30	05	1.50	03	0.90
27.	राजस्थान	21	6.30	10	3.00	37	11.10	25	7.50	19	6.00
28.	सिक्किम	02	0.60	01	0.30	03	0.90	02	0.60	02	0.60

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (30.10.2025 तक)	
		विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि
29.	तमिलनाडु	37	11.10	18	5.40	51	15.30	32	9.90	23	6.90
30.	तेलंगाना	12	3.60	03	0.90	13	3.90	08	2.40	11	3.30
31.	त्रिपुरा	03	0.90	02	0.60	10	3.00	06	1.80	04	1.20
32.	उत्तराखंड	08	2.40	03	0.90	16	4.80	10	3.00	09	2.70
33.	उत्तर प्रदेश	153	45.90	35	10.50	134	40.20	97	29.70	99	30.30
34.	पश्चिम बंगाल	195	58.50	67	20.10	278	83.70	219	65.70	214	64.20
	कुल	1293	390.30	396	118.80	1507	452.40	1077	325.5	1079	327.00
